निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड (राजस्थान)

मि0नं0 38/प्रार्थना पत्र/21 तारीख दायरा 14.12.2021

थानाधिकारी थाना कोतवाली,झालावाड़

बनाम

साजिद अली पुत्र शाकीर अली

निवासी बस स्टेण्ड के पास,झालावाड़

(राजस्थान ट्रेडर्स बॉयो डीजल आउटलेट पम्प संचालक)

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 06 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में थाना कोतवाली झालावाड़ के मुकदमा न0 560/21 धारा 3/7 ईसी एक्ट व 420 भादस में जप्त शुदा ज्वलनशील तरल पदार्थ 14652 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एंव विक्रय किये जाने से जप्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने।

उपस्थितः— पेरोकार रसद

श्री लियाकत अली,अभिभाषक अप्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांकः 18.06.2024

थानाधिकारी कोतवाली,झालावाड़ द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 06 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में थाना कोतवाली झालावाड़ के मुकदमा न0 560/21 धारा 3/7 ईसी एक्ट व 420 भादस में जप्त शुदा ज्वलनशील तरल पदार्थ 14652 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एंव विक्रय किये जाने से जप्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रा0पत्र में अंकन किया है कि दिनांक 10.11.2021 को अमित कुमार आईपीएस,सहायक पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को संकल्प अकेडमी में सामने कोटा रोड़ स्थित राजस्थान ट्रेडर्स बॉयो डीजल आउअलेट पम्प संचालक साजिद अली ने अपने आउटलेट पर अवैध रूप से बॉयो डीजल का भण्डारण कर रखा है तथा वाहन चालकों को विक्रय कर रहा है। गाडी में डीजल भरने वाले कर्मचारी ने अपना नाम फरीद पुत्र अ0 रसीद नि0 संजय कॉलोनी गावघेर झालावाड़ बताया । साजिद अली द्वारा उक्त बॉयो डीजल के बेचान बाबत बताया। उक्त दोनों द्वारा द्वारा बॉयोडीजल को अपने कब्जे में रखने, भण्डारण करने तथा आउटलेट पम्प का संचालन कर खुदरा में बेचान करने बाबत अनुज्ञापत्र अथवा दस्तावेज चाहे तो नही होना बताया। उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल 14652 लीटर बॉयो डीजल जमीन में गडे हुए टेंकर में भरा हुआ अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित/निस्तारण कर राजसात करने व धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अन्तरिम निस्तारण(नष्ट) करने का अनुरोध किया गया है।

जिला कलक्टर झालावाड़

प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी साजिद अली,सहायक निदेशक अभियोजन,झालावाड़,जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ व थानाधिकारी

थाना कोतवाली झालावाड़ को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि पेरोकार रसद के अलावा कोई उपस्थित नही हुआ।

बहस सुनी गई। पेरोकार रसद ने दौराने बहस व्यक्त किया कि बायोफ्यूल प्राधिकरण,ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग राजस्थान,जयपुर द्वारा राज्य में विक्रय एंव उपयोग में लिये जा रहे बायोडीजल की जांच के सम्बन्ध में मानक प्रक्रिया अनुसार बायोडीजल की खुदरा बिक्री को विनियमित करने संबन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार राजस्थान जैव ईधन नियम 2019 जारी किये जाकर राज्य में इस विभाग द्वारा बायेाडीजल(बी–100) की थोक/रिटेल बिक्री करने हेतु बायोडीजल विनिर्माताओं,आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताआं का दिनांक 13.08.2019 से पंजीकरण किया जा रहा है,राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त बायोडीजल विनिर्माताओं,आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रताओं को अनुमति दी जाती है। अंपजीकृत बायेाडीजल उत्पादकों एवं विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश हैं। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जांच हेतु मानक प्रक्रिया में बिन्दु(अ) (1) समस्त अपंजीकृत बायोडीजल उत्पादक एवं विक्रेताओं को सीधे ही बिना किसी सेम्पल जांच के ई. सी.एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करते हुए तत्काल जब्त(SIEZE) करने की कार्यवाही अमल में लायी जावे।(2) समस्त अपंजीकृत बायोडीजल उत्पादक एवं विक्रेताओं के संबंध में संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बायोडीजल के भण्डारण एंव अन्य समस्त संबंधित उपकरणों को सील किया जाकर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही अमल में लाई जावे। प्राधिकृत पत्र नही होने के कारण की गई कार्यवाही उचित है।

इस पर अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया कि पिछले कई वर्षो से अप्रार्थी का आउटलेट चल रहा है व नियमानुसार टेक्स का भुगतान समय–समय पर सरकार को किया जाता रहा है। अप्रार्थी द्वारा विधि विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई है, हिन्दुस्तान बायोडीजल,प्रथम तल 80 फीट रोड,अल्कापुरी,रतलाम मध्य प्रदेश से बायोडीजल क्रय कर विक्रय किया जाता है इस बाबत हिन्दुस्तान बायोडीजल प्राईवेट लिमिटेड,रतन जांगिड,रतलाम द्वारा दिनांक 30.10.2018 को जिला कलक्टर,झालावाड़ को पत्र लिख कर सूचना दी गई है, हिन्दुस्तान बायोडीजल व साजिद अली के मध्य एक अनुबन्ध भी दिनांक 06.07.2018 को निष्पादित किया गया है, फर्म द्वारा हिन्दुस्तान बायोडीजल से बिल न0 912 दिनांक 26.12.2018 से 10.000 लीटर बायोडीजल,बिल न0 1079 दिनांक 18.02.2019 से 9000 लीटर बायोडीजल,बिल न0 1177 दिनांक 14.03.2019 से 10.000 लीटर बायोडीजल बिल न0 73 दिनांकः 16.04.2019 से 10.000 लीटर बायोडीजल क्रय कर उसका रिटेल विक्रय किया जाकर नियमानुसार टेक्स सरकार को दिया गया है। जप्त बायोडीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम में नष्ट किये जाने के प्रावधान नही हैं। प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा फर्द दस्तावेज में हिन्दुस्तान बायोडीजल, प्रथम तल 80 फीट रोड, अल्कापुरी,रतलाम मध्य प्रदेश से बायोडीजल क्रय कर विक्रय किया जाना व इस बाबत हिन्दुस्तान बायोडीजल प्राईवेट लिमिटेड,रतन जांगिड, रतलाम द्वारा दिनांक 30.10.2018 को जिला कलक्टर,झालावाड़ को पत्र लिख कर सूचना दिया जाना व हिन्दुस्तान बायोडीजल व साजिद अली के मध्य एक अनुबन्ध भी दिनांक 06.07.2018 को निष्पादित किया जाना साबित है इसी क्रम में अप्रार्थी की फर्म द्वारा हिन्दुस्तान बायोडीजल से बिल न0 912 दिनांक 26.12.2018 से 10,000 लीटर बायोडीजल,बिल न0 1079 दिनांक 18.02.2019 से 9000 लीटर बायोडीजल,बिल न0 1177 दिनांक 14.03.2019 से 10,000 लीटर बायोडीजल बिल न0 73 दिनांकः 16.04.2019 से 10,000 लीटर बायोडीजल क्रय किया जाना साबित है। इसी क्रम में यह लिखा जाना उचित है कि बायोफ्यूल प्राधिकरण,ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग राजस्थान,जयपुर द्वारा राज्य में विक्रय एंव उपयोग में लिये जा रहे बायोडीजल की जांच के सम्बन्ध में मानक प्रक्रिया अनुसार बायोडीजल की खुदरा बिक्री को विनियमित करने संबन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार राजस्थान जैव ईधन नियम 2019 जारी किये जाकर राज्य में इस विभाग द्वारा बायोडीजल(बी–100) की थोक/रिटेल बिक्री करने हेतु बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं का दिनांक 13.08.2019 से पंजीकरण किया जा रहा है, **राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विकताओं को अनुमति दी जाती है। किन्तु अप्रार्थी की फर्म अंपजीकृत है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान,जयपुर द्वारा पत्रांक एफ 63(3)खा.वि./पेट्रो./बायोडीजल/टास्क फोर्स/2021 जयपुर दिनांक 10.03. 2022 अनुसार भी बिन्दु संख्या 5 अनुसार" किसी भी पंजीकृत बयोडीजल मोबाईल/स्थायी रिटेल आउटलेट की पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर यदि वह बिक्री करता हुआ पाया जाता है उस स्थिति में संबंधित विक्रेता के विरूद्ध जब्त (SIEZE) की कार्यवाही अमल में लायी जावे।** अपंजीकृत बायोडीजल उत्पादकों एवं विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश हैं। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जांच हेतु मानक प्रक्रिया में बिन्दु(अ) (1) अनुसार समस्त अपंजीकृत बायोडीजल उत्पादक एवं विक्रेताओं को सीधे ही बिना किसी सेम्पल जांच के ई.सी.एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करते हुए तत्काल जब्त (SIEZE) करने की कार्यवाही अमल में लायी जावे। बिन्दु(अ)(2) अनुसार समस्त अपंजीकृत बायोडीजल उत्पादक एवं विक्रेताओं के संबंध में संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बायोडीजल के भण्डारण एंव अन्य समस्त संबंधित उपकरणों को सील किया जाकर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही अमल में लाई जावे। उक्तानुसार पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार किया जाना साबित है। किन्तु प्रार्थी थानाधिकारी, थाना कोतवाली का दौराने सुनवाई बावजूद सूचना उपस्थित नही होकर अपना पक्ष नही रखने से प्रा0पत्र में उक्त तरल पदार्थ का अन्तरिम

जिला कलक्टर झालावाड़

निस्तारण (नष्ट) करने के आवेदन को युक्तियुक्त नही पाया जाता है। क्यों कि प्रकरण में चालान प्रस्तुत किया जाकर सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी है, और दौराने सुनवाई माननीय न्यायालय को उक्त तरल पदार्थ बाबत जांच या अन्य अनुसन्धान की आवश्यकता से इन्कार नही किया जा सकता। सहायक निदेशक अभियोजन की पत्रावली में ली गई टिप्पणी अनुसार " प्रकरण में जप्त शुदा बायोडीजल मे से लिये गये नमुनों की जांच रिपोर्ट अनुसार यदि बायो डीजल बी.आई.एस.(BIS) मानक अनुरूप पाया गया हो तो, जप्तशुदा बायोडीजल को किसी पंजीकृत बायो डीजल रिटेल/थोक विक्रेता को सुपुर्द करना, अन्यथा नियमानुसार नष्ट करना उचित होगा।" जप्त बायोडीजल की जांच जगदम्बा प्रयोगशाला जयपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में बी.आई.एस.(BIS) मानक अनुरूप " **The above sample does not confirm as per IS 15607 : 2016 RA 2020 (Bio Diesel) with respect to above test only.** " नहीं है उक्त रिपोर्ट को अन्य मानक तरीकों से जांच करवाया जा सकता है। थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड़ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विवादास्पद बायोडीजल तादादी 14652 लीटर जप्त किया किया जाकर राजसात किया जाता है एवं समीप के पंजीकृत या अन्य बायो डीजल रिटेल/थोक विक्रेता को सुपुर्द किया जाने के आदेश दिये जाते है। इस संम्बंध में जिला रसद अधिकारी झालावाड़ नियमानुसार थानाधिकारी कोतवाली झालावाड के साथ समन्वय स्थापित कर सुपुर्दगी की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी झालावाड़ एवं थानाधिकारी कोतवाली झालावाड़ को पालनार्थ प्रेषित है। प्रा0पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़